Jharkhand Millet Mission 2024: झारखंड सरकार ने राज्य में मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना- "मिलेट मिशन" का अनावरण किया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इस मिशन का उद्देश्य मिलेट उत्पादन में लगे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मिलेट मिशन योजना का उद्देश्य (Jharkhand Millet Mission)

ज्वार, बाजरा, रागी और मडुआ जैसी मिलेट की फसलें बहुत ज़्यादा पोषण मूल्य रखती हैं। वे पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, बीटा-कैरोटीन, आयरन और फोलिक एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसके अलावा, मिलेट में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, जो इसे कुपोषण से निपटने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। ये अनाज स्तनपान कराने वाली माताओं और बढ़ते बच्चों के लिए वरदान हैं। इसके अलावा, इनमें मौजूद कैल्शियम की मात्रा हड्डियों को मज़बूत बनाने में योगदान देती है। इन लाभों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार मिलेट की फसल को भरपूर सहयोग दे रही है।

मिलेट मिशन की मुख्य विशेषताएं:

किसानों को वित्तीय सहायता

मिलेट मिशन के तहत, झारखंड के किसानों को उनकी भूमि के आकार के आधार पर वित्तीय सहायता मिलेगी।
मिलेट की खेती के लिए समर्पित प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए, किसानों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता मिलेगी:

- 1 एकड़: ₹3,000
- 2 एकड़: ₹6,000
- 3 एकड़: ₹9,000
- 4 एकड़: ₹12,000
- 5 एकड़: ₹15,000

फसल की किस्म और खेती

मिशन रागी, लज्जवंती (फॉक्सटेल बाजरा), मंडुआ, बाजरा, कोदो और जंगोरा सहित विभिन्न मिलेट फसलों की खेती को प्रोत्साहित करता है।
जो किसान इन फसलों की बुवाई और पालन-पोषण में लगे हैं, वे वित्तीय सहायता के पात्र होंगे।

बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण

आवंटित वित्तीय सहायता पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना

मिलेट की खेती को बढ़ावा देकर, मिशन यह सुनिश्चित करता है कि किसान बाहरी स्रोतों पर कम निर्भर हों। यह आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है और किसानों को नुकसान की चिंता किए बिना अपनी उपज बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है।

जिलों में कवरेज:

मिलेट मिशन से झारखंड के सभी 24 जिलों के किसानों को लाभ मिलेगा।

मिशन के अन्य उद्देश्य

झारखंड में मिलेट मिशन शुरू करने के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करना। गुणवत्ता से समझौता किए बिना मिलेट उत्पादन को बढ़ावा देना। किसानों के लिए आय के स्तर को बढ़ाना और उनकी समग्र भलाई में योगदान देना।

योजना का लाभ लेने का पात्रता

झारखंड राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते है।
जिन किसानों के पास 10 डिसमिल से 5 एकड़ तक जमीन है वे इस योजना के पात्र है |
अनुदान रैयत और बटाईदार दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र माने गये है
जिन किसानों के पास 05 एकड़ से ज्यादा भूमि है वे इस योजना का आवेदन करने के पात्र नहीं है |
आवेदन करने के लिए किसानों के पास सभी जरुरी दस्तावेज पुरे होने चाहिए |
वैसे परिवार किसान जिसके सदस्य किसी सरकारी नौकरी या आयकर देते है, इस योजना का लाभ नही ले सकते।

आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जमीन का विवरण
- बैंक पासबुक का विवरण आदि